भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1145

सोमवार, 26 जुलाई, 2021/ 4 श्रावण, 1943(शक)

बाल श्रम को रोकना

1145. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री रवि किशन:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री मनोज तिवारी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में श्रम दिवस मनाया है और यदि हां, तो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) देश में श्रमिकों के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसमें प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं;
(ग) क्या देश में बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार द्वारा नई पहल की गई है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;
(घ) बाल श्रम कब तक पूरी तरह समाप्त किए जाने की संभावना है; और
(ङ) देश में महिला श्रमिकों के साथ हो रहे भेद-भाव को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप हुए लॉकडाउन के कारण इस वर्ष श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम दिवस का आयोजन नहीं किया जा सका ।

(ख): संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना, 1976 और कर्मचारी राज्य बीमा योजना का क्रियान्वयन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन भी कर रही है। इनमें कुछ प्रमुख योजनाएं हैं: श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।

(ग) और (घ): वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 5-14 वर्ष की आयु वर्ग के मुख्य कामगारों की संख्या 43.53 लाख है जो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 57.79 लाख की तुलना में कमी दर्शाती है।

सरकार ने 2016 में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन किया है। इस संशोधित अधिनियम को अब बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 कहा गया है। संशोधित अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों का किसी भी जोखिमकारी व्यवसाय और प्रक्रिया में नियोजन अथवा कार्य करना पूर्णत: प्रतिषिद्ध है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय बाल श्रमिकों के पुनर्वास के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का क्रियान्वयन भी कर रही है। वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 के दौरान एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत कार्य से बचाए/हटाए गए, पुनर्वासित और मुख्य धारा में शामिल किए गए बच्चों की संख्या क्रमश: 50284, 54894, 58289 है।

(ड.): समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में समान कार्य अथवा बिना किसी भेदभाव के समान प्रकृति के कार्य हेतु पुरुषों अथवा महिलाओं को समान पारिश्रमिक के भुगतान हेतु प्रावधान है और यह महिलाओं को समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए भर्ती करते समय अथवा भर्ती के पश्चात सेवा की किन्हीं शर्तों यथा पदोन्नति, प्रशिक्षण अथवा स्थानांतरण में किसी प्रकार के भेद-भाव पर रोक है।

सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सहयोगपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के लिए अनेक पहल किए हैं। इनमें शामिल हैं:

(i) सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना
(ii) पचास अथवा अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में अनिवार्य रूप से शिशु गृह (क्रेच) सुविधा का प्रावधान
(iii) पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पाली में महिला कामगारों को अनुमति
(iv) ओपनकास्ट कार्यों सहित जमीन से ऊपर के खानों में 7 बजे सायं से 6 बजे प्रात: तक और भूमिगत कार्यों में 6 बजे प्रात: से 7 बजे सायं तक महिला कामगारों को तकनीकी, पर्यवेक्षीय और प्रबंधकीय कार्य करने की अनुमति देना जहां निरंतर उपस्थिति अपेक्षित नहीं है।

*****